न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 292/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

1. रामेश्वर पिता नगजीराम जंगलिया उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. ईश्वर पिता नगजीराम जंगलिया उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. सत्तू पिता नगजीराम जंगलिया उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. मांगी बेवा नगजीराम जंगलिया उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नानू पिता मूला भील उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. नन्दा पिता कालू भील उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. छोटु पिता नानूराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. बद्री पिता नन्दलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. रामप्रसाद पिता लालूराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार साहब, कोटडी (भीलवाडा)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक 11/2/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कंवलियास, पटवार हल्का बनकाखेडा, भू.अ. क्षैत्र सवाईपुर, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद मे खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 606/4 रकबा 5 बीघा, आराजी संख्या 606/1 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 608/4 रकबा 5 बीघा, आराजी संख्या 617/606 रकबा 2 बिस्वा कुल कीता 3 रकबा 8 बीघा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **सवाईपुर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

11/2/17

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी जिला–भीलवाड़ा